

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 18/2008

1. रामकुवांर पुत्र बंशी
2. अमरसिंह
3. छोटेलाल
4. प्रहलाद
5. देवीराम
6. इन्दरसिंह
7. किस्तूरी बेवा सम्पतराम

पिसरान सम्पतराम



समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम समलेटी तहसील महवा जिला दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा (प्राधिकृत अधिकारी उपजिला कलेक्टर महवा) जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा
3. भारत संघ जरिये सचिव पोत परिवहन सडक राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली
4. अधिशाषी अभियंता नेशनल हाईवे नं0 11 दौसा
5. परियोजना निदेशक एन एच ए आई इन्द्रा कॉलोनी बस डीपो के सामने आगरा रोड दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थिति—
1. श्री वरूण नागर अधिवक्ता प्रार्थीगण पक्ष
 2. श्री दीपक शर्मा अप्रार्थी सं0 5 की ओर से
 3. श्री नवल किशोर शर्मा राजकीय पैरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक: 07.01.2021

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, महवा द्वारा जारी अवार्ड आदेश दिनांक 12.03.2007 से असंतुष्ट होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पक्ष की बहस में दलील है कि ग्राम समलेटी तहसील महवा जिला दौसा मे प्रार्थीगण रामकुवांर वगै0 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1109, 1110 स्थित है। इस भूमि में से खसरा नं0 1109 में से 630 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 1110 मे से 465 वर्गमीटर कुल 1095 वर्गमीटर भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर महवा द्वारा दिनांक 12.03.2007 को अवाप्ति की कार्यवाही की गई। इससे पूर्व दिनांक 12.05.2006 को स्टेटमेन्ट ऑफ कम्पनसेशन अवार्ड शिड्यूल (जी) के अनुसार खसरा नं0 1109 मे 139157/—रूपये व खसरा नं0 1110 मे से 140584/— रूपये मात्र मुआवजा राशि दिये जाने का प्रारूप तैयार किया गया। जबकि मौके के अनुसार खसरा नं0 1109 व 1110 मे दो कमरे,नाल, चार गह पाटोल पक्की, दो

W



टीनशेड पक्के, दौ छप्पर, कुण्डा 15 फिट गहराई, दो शीशम के पेड, दो नीम के पेड, तीन अशोक के पेड, दो कुए, उनकी पाईपलाइन 900 वर्गफिट में बनी हुई एवं मौके पर बाउण्डरी बाल बनी हुई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने स्टेटमेंट ऑफ कम्पनसेशन टेबिल में मौके की वस्तुस्थिति को सही रूप से वर्णित नहीं किया। प्रार्थीगण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी से समक्ष आपत्ति पेश की गई एवं कुएं व पाईपलाइन का स्टेटमेंट कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग का तैयार कराया जाकर प्रस्तुत किया गया। जब उक्त भूमि में होकर नेशनल हाईवे पहले से ही मौजूद था उसे अब और चौड़ा किया गया है वहां यदि कोई भूमि अवाप्त की जाती है तो उसका मुआवजा आबादी के अनुरूप दिया जाना चाहिये जो नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में गै0मु0 चाह आबादी होना अंकित किया गया है। प्रार्थीगण की बहुमूल्य भूमि अवाप्त की गई है। भूमि का बाजार मूल्य अवाप्ति के दिन की डीएलसी रेट से तय होनी चाहिये थी। भूमि खसरा नम्बर 1109 व 1110 दोनों में ही प्रार्थीगण का जो निर्माण व दो कुए इत्यादि है व जो पाईप लाईन है व अन्य मौके की स्थिति के हिसाब से स्ट्रेक्चर मौजूद था उसकी राशि कनिष्ठ अभियंता के मुताबिक 3,22,910/-रूपये 70 पैसे एवं+ 3,64,770 रूपये होती है। इसके अलावा जो भूमि अवाप्त की गई है उसकी राशि 21,95,000 रूपये, 6,00,000/-रूपये निर्माण राशि, 2,00,000/-रूपये फसल क्षतिपूर्ति, अन्य जगह बदलकर निर्माण करने की राशि 2,00,000 रूपये, रोड कटिंग का खर्चा 18,000/-रूपये इस प्रकार प्रार्थीगण को कुल 38,80,680/-रूपये मुआवजा राशि दिलाने का आदेश सक्षम प्राधिकारी को पारित करना चाहिये था। लेकिन ऐसा न कर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को अनदेखा किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को कुल 38,80,680/- मुआवजा राशि दिलवाये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 5 द्वारा बहस में दलील दी गई कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारत की लोकनीति के स्पष्टतया विरुद्ध है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1109 व 1110 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित भूमि की दरों के आधार पर मौके की स्थिति, भूमि की संरचना, भूमि की प्रकृति, भूमि के उपयोग के आधार पर बाजार दर निर्धारित करते हुए मुआवजा राशि अभिनिर्धारित की है। प्रार्थीगण की विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1109 व 1110 का अवाप्त रकबा 1095 वर्गमीटर का भूमि की किस्म चाही उत्तम के आधार पर बाजार दर 11,62,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर अभिनिर्धारित करते हुए अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 1,27,239/-रूपये एवं कुआ, छप्पर, पाटोल, कमरा इत्यादि की मुआवजा राशि 127,071/-रूपये तथा उक्त भूमि के संबंध में हुई सुखाचार क्षतिपूर्ति राशि 25,431/- रूपये कुल 2,79,741/-रूपये निर्धारित की गयी जो भारत की लोकनीति अनुसार अभिनिर्धारित की गई है। प्रार्थीगण अब किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना दिनांक 12.5.2006 में उक्त विवादग्रस्त आराजी की किस्म चाही उत्तम है तथा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी 3डी अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात की किस्म चाही उत्तम है। इसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण को अगर भूमि के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति थी तो प्रार्थीगण को 3ए अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया था प्राप्त कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण स्वयं अपने



W

वर्जनों से विबंधित (*Estoped*) है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी का सर्वे स्वतंत्र एजेन्सी एवं सरकारी एजेन्सी के माध्यम से करवाया गया जिसमें भी वादग्रस्त आराजी की किस्म चाही पायी गयी जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। प्रार्थीगण नितान्त ही गलत आधारों पर कृषि भूमि का आबादी के हिसाब से मुजावजा राशि प्राप्त करना चाहता है जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म चाही अंकित होने के कारण तदनुसार ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि है केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना दिनांक 12.5.2006 में उक्त विवादग्रस्त आराजी की किस्म चाही उत्तम है तथा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी 3डी अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात की किस्म चाही उत्तम है। जिसके आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा आबादी भूमि के आधार पर मुआवजा चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2063-66 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1109 व 1110 की किस्म चाही अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया था प्राप्त कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण स्वयं अपने वर्जनों से विबंधित (*Estoped*) है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पीयूष सेनारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

(पीयूष सेनारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा